



संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A11-245/2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीधौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 28 अगस्त, 2023

महोदय,

कृपया कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : 14575 दिनांक 31.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी को बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2020-22 एवं 2022-24 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	रामचन्द्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, उत्तरकाशी।	बी0एड0 (द्विवर्षीय)	50 सीट प्रति सत्र	2020-22 एवं 2022-24

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- संस्थान में भवन एवं फ़ैकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा, यदि किसी मानक के अपूर्ण होने के कारण छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- संस्थान द्वारा एन0सी0टी0ई0 के मानकानुसार अध्ययनरत् छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical Training) एवं स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप हेतु जो व्यवस्था की गई है तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman

Date: 26-08-2023 16:07:58

भवदीय,

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 747/जी0एस0(शिक्षा)/A11-245/2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित महाविद्यालय।
- ✓ 4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।